Import of Australian Wheat

475. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Australian wheat has been "Over Priced";

(b) the criteria of STC contract in this regard; and

(c) the programme for taking delivery, the target fixed and actual delivery received?

THE MINISTR OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) and (b): The contract with Australian Wheat Board has been concluded by STC keeping in view its price competitiveness of C&F cost basis, its conformity to health standards and Phytosanitary norms laid down as per Prevention of Food Aldulteration Act. 1955 and PFS (Plant, Food Seed) Order, 1989.

(c) At the time of finalising the contract, the delivery period of 1 million MT was stipulated for March-April 1998 and 0.5 Million MT for May-15 June 1998 extendable to 31st July, 1998. As per present indications 10.5 lakh MT will be shipped from Australian Coast by end June'98. The balance quantity will be shipped in the post monsoon period commening from 15th August-15th October, 1998 as per the directions of the Deptt. of Food & Civil Supplied and FCI. As on 25.5.98 a quantity of 3.14 lakh MT has arrived at Indian ports.

मध्य प्रदेश में निर्यातोन्मुख एककः

476. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के निर्यातोन्मुख एककों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोनों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार निर्यातोन्मुख एककों, निर्यात एककों तथा निर्यात प्रसंस्करण जोनों संबंधी नीतियों की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन क्षेत्रों के नाम क्या-क्या हैं, जिनमें परिवर्तन किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) 31.3.98 तक मध्यप्रदेश में 25 निर्यातोन्मुख एकक (ई ओ यू) मौजूद थे। 21 एककों के संबंध में सकल निर्यात निष्पादन संतोषजनक पाया गया है। शेष 4 एकक बंद है और इनके मामले विदेश व्यापार (डी एंड आर) अधिनियम 1992 के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशक को उपयुक्त कार्रवाई के लिए सौंप दिए गए हैं। मध्यप्रदेश में कोई निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई पी जैड) नहीं है।

ई ओ यू/ई पी जैड एककों से संबंधित नीति और क्रिया विधि की समीक्षा एग्जिम नीति बनाते समय की जाती है। अप्रैल 98 से प्रभावी संशोधित एग्जिम नीति और क्रिया विधि में कुछ मुख्य परिवर्तन किए गए हैं। इनमें शामिल हैं-निर्यात के प्रतिशत अनुपात के रूप में जरूरी न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा आय और पांच वर्षों के लिए न्यूनतम निर्यात निष्पादन को कम कर दिया गया है और इसे सरल एवं कारगर बना दिया गया है। घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) बिक्री की हकदारी का लाभ उठाने के लिए समय सीमा को तीन वर्षों की अवधि तक बढ़ाने के लिए ई पी जैड एककों के विकास आयुक्तों को अधिकार प्रदान किया गया है और उत्पादन के एक भाग को डी टी ए में उपसंविदा करने संबंधी प्रावधानों को तथा डी टी ए बिक्री के लिए उत्पादों के एक साथ मिलाने संबंधी प्रावधानों को भी उदार बनाया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों का पुनरूद्धार

477. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण एककों का पुनरूद्धार करने के लिए कोई समयबद्ध परिणामोन्मुखी व्यवस्था विकसित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन हेतु प्रबन्धकों का चयन करने के लिए कोई काडर बनाने का विचार रखती है;

(घ) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबन्धन व्यावसायिक दक्षता प्राप्त विशेषज्ञों को सौंपने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों एवं वित्तीय पुर्निर्माण बोर्ड में पंजीकृत किया जाता है, ताकि उनके नवीकरण/पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में पैकेज तैयार किए जा सकें। घाटा उठाने वाले अन्य उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धन एवं कामगारों के परामर्श से समयबद्ध नवीकारण रणनीति विकसित की जाती है/अपनायी जाती है। इस प्रकार की रणनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ निदेशक मण्डल का व्यावसायीकरण, निधियां प्रदान करना, संगठनात्मक एवं पूंजीगत पुनर्गठन आदि शामिल है।

(ग) वर्तमानत: ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों में व्यावसायिकों /विशेषज्ञों को शामिल करके उनका व्यावसायीकरण किया जाता है। इसके साथ ही, सरकारी उघम चयन मण्डल सरकारी उपक्रमों में निदेशक-मण्डल स्तरीय पदों, यथा मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों के लिए भर्ती करता है तथा उन्हें उत्पादन, विपणन, वित्त, कार्मिक आदि प्रभागों के प्रमुख का भार सौंपा जाता है।

Closure of small and medium SSIs

478. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether in a very short span 6,00,000 small and medium scale industrial units have been closed down in the country, as reported in the Hindustan Times dated the 6th May, 1998;

(b) whether more than 83 per cent of the work force does not even come under the purview of the existing laws;

(c) if so, the reasons therefor and in what manner Government propose to tackle the industrial strife; and

(d) whether Government propose to restructure antiquated laws and being forward central legislation for building good industrial relation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Industrial sickness in Bihar

479. SHRI JANARDAN YADAV: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey during the last one year in Bihar to find out the number of small, medium and big industrial unit which are lying closed in the State;

(b) if so, the details thereof;

(c) the type of industries like textiles, engineering goods, etc, that, have generally faced closure in the State with details thereof; and

(d) the steps being taken by Central Government for the revival of these closed industries in the State within a time frame?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Hosue.

मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड का हस्तान्तरण

480. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड नामक भारत सरकार का उपक्रम कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या उपक्रम लाभ में चल रहा है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने नमक उद्योग को घाटे से निकालने एवं हजारों बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सांभर झील क्षेत्र को राज्य सरकार को लैटाने हेतु अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(च) क्या सरकार ने पहले भी 1960 में डीडवाना नमक इकाई, जो उस समय घाटे में चल रही थी, को राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित कर दिया था?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड 30 सितम्बर, 1964 से राजस्थान में कार्य कर रहा है।